विविध GCMS नंबर 2025/711 बअनवान अक्षय माथुर वगैरा बनाम अर्चना वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

...ख ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
12/01/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 23.9.2025 की पालना में निरीक्षक भू0अ0 बेडा से रास्ते बाबत् तलब की गई रिपोर्ट प्राप्त हो जने से उपस्थित वकुलाय को सुना गया। अपील कर्ता अर्चना पत्नि नंदसिंह भाटी वगैरा के अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित को निरीक्षक भू0अ0 बेडा से प्राप्त रिपोर्ट पर सुना गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सबंध में कोई एतराज/आपत्ति नहीं की गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात हैं कि प्रार्थीगण के रास्ते के आवेदन पत्र को न्यायालय आदेश दिनांक 4.6.2025 से स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम वरावल के खसरा नंबर 188/25 रकबा 1.3186 हैक्टर तक पहुॅच के लिये नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसकी पालना में रिकार्ड में अमल दरामद भी हो चुका है। इस न्यायालय के आदेश के विरूद्व अप्रार्थी अर्चना पत्नि नंदसिंह भाटी वगैरा द्वारा अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में की गई। जो अपील संख्या 76/2025 बअनवान अर्चना वगैरा बनाम अक्षय माथुर वगैरा दिनांक 23.9.2025 को स्वीकार करते हुये निम्नानुसार आदेश पारित किया गया। **पारित आदेश दिनांक 4.6.2025 को खसरा संख्या 193/28 की उत्तरी सीमा के सहारे स्वीकृत रास्ते की सीमा तक अपास्त करते हुए तथा शेष खसरान एवं खसरा संख्या 193/28 की पश्चिम सीमा के सहारे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकृत रास्ता यथावत रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रकरण में सबंधित भू0अ0नि0 से खसरा संख्या 27 की दक्षिण सीमा के सहारे वांछित माप अनुसार रास्ता एवं प्रतिकर राशि के सबंध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर खसरा संख्या 27 की दक्षिण सीमा के सहारे रास्ता स्वीकृत करे। शेष आदेश यथावत रहेगा।** इस आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा निरीक्षक भू0अ0 बेडा से रिपोर्ट तलब की जा चुकी है एवं उक्त रिपोर्ट पर वकुलाय को भी आपत्ति नहीं है। जिससे निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार पुर्व में इस न्यायालय पारित आदेश से खसरा नंबर 218/193 के उत्तर दिशा में जो रास्ता स्वीकृत किया था, उसे निरस्त करते हुये खसरा नंबर 27 के दक्षिण दिशा की ओर 810 वर्गमीटर का नया रास्ता निरीक्षक भू0अ0 बेडा की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। निरीक्षक भू0अ0 बेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। तहसीलदार बाली देय प्रतिकर राशि **810X13X2=21060/–** रूपये अदायगी के पश्चात रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शें में तरमीम शुद्धि सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

(v) माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अपास्त रास्ते एवं नये दिये जाने वाले रास्ते का नजरी-नक्शा निम्नानुसार है-

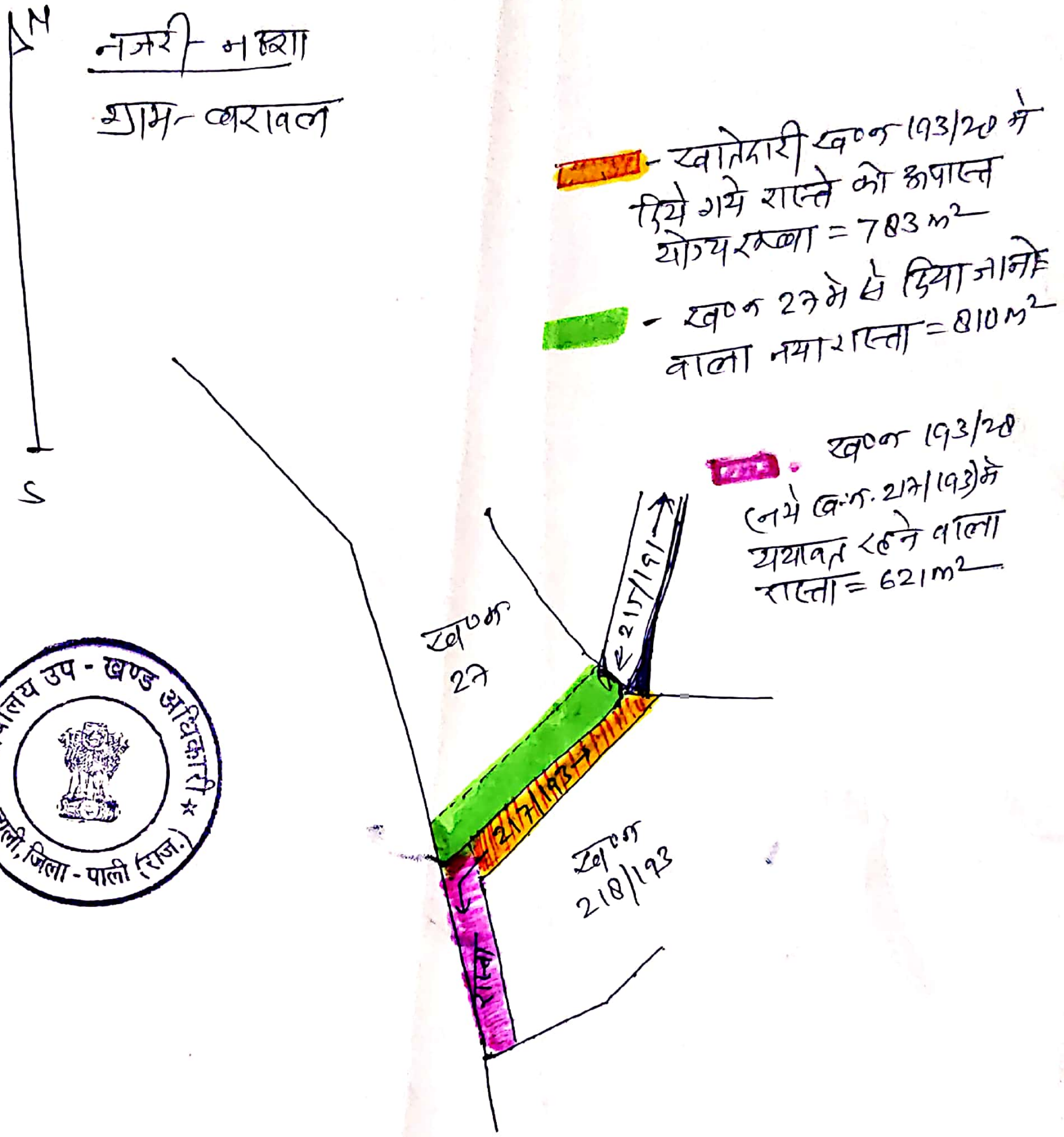

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

नये दिये जाने वाले रास्ते (खसरा-27) की DLC दर 130000/- Hec. है।

अतः जांच रिपोर्ट माननीय न्यायालय के आदेशानुसार श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

15/1/25